**भारत सरकार**

**कोयला मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 498**

**जिसका उत्तर 22 जुलाई, 2026 को दिया जाना है**

**वाणिज्यिक कोयला खनन से राजस्व सृजन**

**498. श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल :**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

**(क)** वाणिज्यिक कोयला खनन व्यवस्था के अंतर्गत नीलाम किए गए कोयला ब्लॉकों की संख्या कितनी है और विगत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय और राज्य राजकोषों के लिए कितना राजस्व सृजित हुआ है;

**(ख)** पारदर्शिता और पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नीलामी प्रक्रिया में शामिल सुरक्षात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है; और

**(ग)** इसके परिणामस्वरूप कोयला धारक राज्यों में सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**कोयला और खान राज्य मंत्री**

**(श्री सतीश चन्द्र दुबे)**

**(क) :** वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी व्यवस्था के अंतर्गत कुल 141 कोयला ब्लॉकों की नीलामी की गई है और 132 ब्लॉकों का आवंटन किया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान वाणिज्यिक कोयला खानों से केंद्रीय और राज्य राजकोषों को प्राप्त राजस्व का विवरण निम्नलिखित है, जिसमें अग्रिम राशि, मासिक प्रीमियम, रॉयल्टी, जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि (डीएमएफ), राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास, लाभांश, जीएसटी तथा कॉरपोरेट आयकर शामिल हैं:

| विवरण | वित्त वर्ष 24 | वित्त वर्ष 25 | वित्त वर्ष 26 |
|---|---|---|---|
| सृजित राजस्व (रु. करोड़) | 2323.7 | 2323.76 | 3090.34 |

**(ख) :** कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत एक नियम-आधारित नीलामी ढांचे के माध्यम से पारदर्शिता और दक्षता को संस्थागत रूप से अंतर्निहित किया गया है। वाणिज्यिक कोयला खान नीलामियां एमएसटीसी ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से दो-चरणीय इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया का उपयोग करते हुए पूर्णतः ऑनलाइन आयोजित की जाती हैं।

ऐसे जोखिमों के समाधान हेतु, वाणिज्यिक कोयला नीलामियों में अनेक सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। इनमें कठोर बोलीदाता अर्हता आवश्यकताएं, संबंधित पक्षों की सहभागिता के प्रकटीकरण की अनिवार्यता और मिलीभगतपूर्ण आचरण के विरुद्ध वचन-पत्र देना शामिल हैं। इसके अलावा, गलत जानकारी देने पर कोयला ब्लॉक रद्द करने और भविष्य की नीलामी में शामिल होने से रोकने के प्रावधान हैं। वाणिज्यिक कोयला खनन में निजी सहभागिता को प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी बनाए रखने के लिए वास्तविक-समय निगरानी को मज़बूत करना और सख़्ती से दंड लागू करना सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

सीएमडीपीए के अनुसार, आवंटिती को पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात कोयला खान का विकास करना आवश्यक है। पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए, प्रस्तावक को पिटहेड से कोयले के परिवहन हेतु यंत्रीकृत लदान और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी की स्थापना के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करनी चाहिए।

**(ग) :** रोजगार सृजन मुख्यतः खान द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात होता है। वर्तमान में 15 वाणिज्यिक कोयला खानें उत्पादनरत हैं और मंत्रालय के पास उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार इन 15 खानों में वर्तमान में रोजगार सृजन 5,161 हुआ है। इन उत्पादनरत वाणिज्यिक कोयला खानों में रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

| **क्र.सं.** | **राज्य** | **कुल रोजगार (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष)** |
|---|---|---|
| 1 | छत्तीसगढ़ | 2715 |
| 2 | ओडिशा | 847 |
| 3 | मध्य प्रदेश | 757 |
| 4 | महाराष्ट्र | 571 |
| 5 | अरुणाचल प्रदेश | 214 |
| 6 | झारखंड | 57 |
| **कुल** | | 5161 |

*****